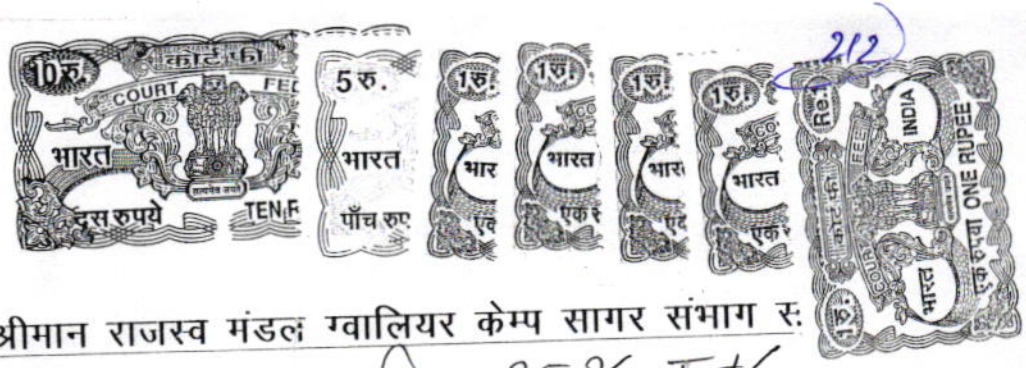

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग सः

सुंदर तिबारी तनय भैयन तिबारी, निग-2526-I-16

निबासी ग्राम इमलाना, तहसील वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.............आवेदक

वनाम

म0 प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़,

.... अनावेदक

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :—

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 08/अपील /2014—15 में पारित आदेश दिनांक 30/07/2015 से परिवेदित होकर कर रहा है, माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पटवारी हल्का इमलाना द्वारा एक प्रतिवेदन अधिनस्थ बिचारण न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवेदक द्वारा म0 प्र0 शासन की भूमि खसरा नंबर 443/1 रकववा 1.514 हैक्टेयर के अंश रकवा 0.050 हैक्टेयर पर मकान की नीव खोदकर अबैध कब्जा करने के संबध में प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीवद्व करके आवेदक को कारण बताओं सूचनापत्र जारी किया। जिसका आवेदक द्वारा विधिवत रूप से जबाब प्रस्तुत किया गया। जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि आवेदक को प्र0 क0 103/बी121/2012—13 में पारित आदेश दिनांक 08/12/2013 के द्वारा ग्राम में आवादी के भू खंड का प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी किया है , इसी प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा भी बर्ष 1996 में भूमि—स्वामी अधिकार का पटटा प्रदान किया गया था। आवेदक उपरोक्त भूमि पर 40 सालों से काबिज है, जिसे नजर अंदाज करके अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 10/09/2014 को पारित करके आवेदक को खसरा नंबर 443/1 रकवा 0.514 हैक्टेयर के अंश भाग रकवा 0.050 है0 से वेदखल करने तथा 2700/— रूपया अर्थदंड आरोपित करने का आदेश पारित कर दिया।

राजेन्द्र पटेरिया (बुड.)
बार रूम क्र. 1 सिविल कोर्ट
नि०- 142, मनोरमा कॉलोनी,
मो.- 9425451002

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2526 / I / 2016 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश सुंदर तिबारी वनाम म0 प्र0 शासन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30.8.16	1— मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदक के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पटैरिया द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कंमांक 08 / अपील / 2014—15 में पारित आदेश दिनांक 30 / 07 / 2015 से दुखित होकर प्रस्तुत की है। निगरानी के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का अवेदनपत्र तथा सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। आवेदक की ओर से बिद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये। प्रकरण का अवलोकन किया गया। बिलंब का कारण उचित होने से धारा 05 म्याद अधघिनियम का आवेदनपत्र स्वीकार करके निगरानी समय सीमा में मान्य की जाती है। 2— आवेदक द्वारा निगरानी के साथ जो सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, निगरानी आवेदनपत्र, प्रश्नाधीन आदेश एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिनके अनुसार प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम इमलाना प0 ह0 नं0 50 तहसील वल्देवगढ़, पटवारी द्वारा एक प्रतिवेदन अधिनस्थ बिचारण न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवेदक द्वारा म0 प्र0 शासन की भूमि खसरा नंबर 443 / 1 रकवा 1.514 हैक्टेयर के अंश रकवा 0.050 हैक्टेयर पर मकान की नींव खोदकर अबैध कब्जा किया जा रहा है। जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क0 01 / अ—68 / 2013—14 पंजीबद्व करके आवेदक को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया। जिसका आवेदक द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया। जिसके उपरांत बिचारण न्यायालय द्वारा पटवारी प्रतिवेदन एवं जबाब के आधार पर दिनांक 10 / 09 / 2014 को आदेश पारित करके आवेदक के उपर 2700 / — रूपया अर्थदंड एवं वाद भूमि से कब्जा हटाने का आदेश पारित किया गया। आवेदक द्वारा उपरोक्त आदेश से परिवेदित होकर एक अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी वल्देबगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा दिनांक 30 / 07 / 2015 को आदेश पारित करके प्रकरण तहसीलदार को पुनः जांच करने वावद प्रत्यावर्तित कर दिया। जिसके बिरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।	

3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में बताया कि तहसीलदार द्वारा मात्र पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया गया है। जिस भूमि खसरा नंबर 443/1 पर आवेदक का कब्जा बताया जा रहा है, उपरोक्त भूमि की नक्शा में कहीं कोई तरमीम नहीं है, राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नंबर 443 काफी बड़ा एकांकी नंबर है। जिसके आधार पर यह बिनियश्चय नहीं किया जा सकता, कि खसरा नंबर 443/1 कौन सा है, तथा 443/2 कौन सा है। खसरा में उपरोक्त भूमि के 04 बटा नंबर बन गये हैं, जो सभी शासकीय .दर्ज है , जिसमें से 443/2 रकवा 0.809 है0 आबास योजना के लिये आरक्षित है। इसी खसरा नंबर पर आवेदक का कब्जा है। जो अवैधानिक न होकर पटटों के आधार पर है।

4– आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में दोंनों न्यायालयों के आदेशों तथा संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह स्थिति परिलक्षित हुई कि बिचारण न्यायालय द्वारा पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 05/08/2014 को प्रकरण पंजीबद्व करके आवेदक को सूचनापत्र जारी किया। जिसका जबाब प्रस्तुत होने पर बिचारण न्यायालय द्वारा बगैर पटवारी के कथन कराये, बगैर आवेदक के कथन लिये मात्र प्रतिवेदन एवं जबाब के आधार पर आदेश पारित किया है। जिसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतों का पालन नहीं किया गया है। आवेदक के जबाब एवं दस्तावेजों को क्यों अमान्य किया गया, यह तथ्य भी आदेश में स्पष्ट नहीं किया गया है। जुर्माना अधिरोपित करने का क्या आधार है यह भी स्पष्ट नहीं है, बिचारण न्यायालय का आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं है।

5– आवेदक की ओर से जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, उनका अवलोकन करने पर यह तथ्य स्पष्ट है कि खसरा नंबर 443 के चार बटा नंबर हैं, जिनमें 443/1 रकवा 1.514 हैक्टेयर म0 प्र0 शासन के नाम पर दर्ज है, खसरा नंबर443/2 रकवा 0.809 हैक्टेयर आबास योजना के लिये आरक्षित है, खसरा नंबर 443/3 रकवा 0.036 हैक्टेयर मरघट के लिये आरक्षित है, इसी प्रकार खसरा नंबर 443/4 रकवा 0.595 हैक्टेयर गौचर बंजर में दर्ज है। आवेदक द्वारा इसी वाद भूमि का नक्शा प्रिंट आउट की प्रमाणित प्रतिलिपि की छाया प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें खसरा नंबर 443 एक बड़ा नंबर है, जिसके बटांक नहीं हुये हैं। जिससे कौन सा बटा नंबर कहां है, स्पष्ट नहीं होता है। पटवारी द्वारा जो इंकीचमेंट रजिस्टर प्रस्तुत किया है, उसमें खसरा नंबर 443/1 रकवा 1.514 हैक्टेयर पर आवेदक का कब्जा बताया गया है, किन्तु उसमें पटवारी द्वारा ना तो कब्जा की गई भूमि का नक्शा संलग्न किया है, ना ही प्रतिवेदन में कब्जा स्थल की सीमायें ही लेख कीं हैं। जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण

एवं अपूर्ण होने से उसके आधार पर आदेश पारित करके बिचारण न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी अपील आंशिक रूप से स्वीकार करके मात्र पटटों की जांच करने वावद प्रत्यावर्तित की है। उनके द्वारा बिचारण न्यायालय के आदेश की बैद्यता एवं जुर्माना राशि के संबंध में कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया है। जिससे दोंनों आलोच्य आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है, दोंनों अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश कमशः दिनांक 10/09/2014 एवं 30/07/2015 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण का परिणाम दर्ज करके दा0 द0 हो।

सदस्य